



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं.:- 2009/00035

दर्ज तिथि:-03.03.2025

1. खेताराम पुत्र तुलछाराम
 2. फरसाराम पुत्र तुलछाराम
 3. गोरखाराम पुत्र तगाराम
 4. ओमप्रकाश पुत्र तगाराम
 5. अचलाराम पुत्र तगाराम
 6. जगदीश पुत्र तगाराम
 7. खम्मादेवी पत्नी तगाराम
 8. किस्तूरी पत्नी तुलसाराम
 9. शिवजीराम पुत्र तगाराम
- जाति सोनी निवासी आडेल तहसील सिणधरी हाल नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. मगा पुत्र अमरा
 2. रामाराम पुत्र हरदानराम
 3. खेताराम पुत्र हरदानराम
 4. लूम्बा पुत्र उदा (फौत के कायम मुकाम)
 - 4/1 खेताराम पुत्र लूम्बा
 - 4/2 सिगरतीदेवी पत्नी लूम्बा
 - 4/3 रेखीदेवी पत्नी जूंजाराम
 - 4/4 मुकेश पुत्र जूंजाराम
 - 4/5 चुनी पुत्री जूंजाराम
 - 4/6 दिनेश कुमार पुत्र जूंजाराम
 5. फूसा पुत्र उदा
 6. ऐलसी पत्नी खेताराम
- प्रतिवादी संख्या 4/4 से 4/6 तक नाबालिग जरिये वली माता रेखीदेवी पत्नी जूंजाराम
-असल प्रतिवादी
7. तहसीलदार नोखड़ा
-तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री बाबूलाल विश्‍नोई

प्रतिवादी - श्री रामजीवन विश्‍नोई



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

&%U.k: %&

निर्णय तिथि:-07.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 265/17.03 बीघा (2.5403 है0), 340/86.04 बीघा(13.9472 है0), 340/2/38.04 बीघा(6.1808 है0) वाके ग्राम आडेल एवं खसरा संख्या 173/42.10 बीघा(6.8765 है0) वाके ग्राम भांभूओ का तला तहसील सिणधरी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 तथा 06 के अतिरिक्त सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 02 तथा 06 ने जबाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर वहामी बंटवारा कर रखा है एवं मौके पर लंबे समय से काबिज काश्त है। अतः मौके पर वहामी बंटवारा तथा मौका कब्जा अनुसार के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार बंटवारा किया जावे। प्रकरण में तनकीयात कायम किये गये। प्रकरण में तनकी उभयपक्षकारों के मध्य विभाजन की तनकी पर बहस सुनी गई। दौरान ए बहस उभयपक्षकारो ने पक्षकारान के अभिभाषक गणों ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किये जाने पर सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 03.03.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/351 दिनांक

07.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिवक्ता वादी द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव/कुरेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी स्वयं द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर उक्त विभाजन प्रस्ताव/कुरेजात रिपोर्ट अनुसार विभाजन किये जाने पर सहमति प्रदान की गई। प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार की जाती है। तत्पश्चात् प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुरेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/351 दिनांक 07.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुरेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 24.04.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 1017-1036 दिनांक 07.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 24.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 1017-1036 दिनांक 07.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 24.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुरेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076-2079 तथा कुरेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 265/17.03 बीघा (2.5403 है0), 340/86.04 बीघा(13.9472 है0), 340/2/38.04 बीघा(6.1808 है0) वाके ग्राम आडेल एवं खसरा संख्या 173/42.10 बीघा(6.8765 है0) वाके ग्राम भांभूओ का तला तहसील सिणधरी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का

विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

5. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त

स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 265/17.03 बीघा (2.5403 है0), 340/86.04 बीघा(13.9472 है0), 340/2/38.04 बीघा(6.1808 है0) वाके ग्राम आडेल एवं खसरा संख्या 173/42.10 बीघा(6.8765 है0) वाके ग्राम भांभूओ का तला तहसील सिणधरी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
फूसाराम पुत्र उदाराम हि0 1/2	आडेल	265	0.4308	बा0सो0
सिगरती पत्नी लुम्बाराम हि0 1/6		265/3	0.1052	बा0सो0
खेताराम पुत्र लुम्बाराम हि0 1/6		173	6.8765	बा0सो0
दिनेश पुत्र जुंजाराम हि0 1/24				
मुकेश पुत्र जुंजाराम हि0 1/24				

रेखीदेवी पत्नी जुंजाराम हि0 1/24 चूनी पत्नी जुंजाराम हि0 1/24 जाति सुनार सा0 देह खातेदार				
कुल किता 03 रकबा 7.4125 है0				
मगाराम पुत्र अमराराम जाति सुनार सा0 देह खातेदार	आडेल	265 340 340/2	0.7031 6.0572 0.6522	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 7.4125 है0				
रामाराम पुत्र हरदानराम हि0 1/2 भावनी पुत्री खेताराम हि0 1/12 रेशमी पुत्री खेताराम हि0 1/12 लीला पत्नी खेताराम हि0 1/12 दुर्गा पुत्री खेताराम हि0 1/12 हेमाराम पुत्र खेताराम हि0 1/12 जुंजाराम पुत्र खेताराम हि0 1/12 जाति सुनार सा0 देह खातेदार	आडेल	265 340 340/2	0.7032 3.7600 2.9493	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 7.4125 है0				
एलसीदेवी पत्नी खेताराम हि0 1/3 खम्मादेवी पत्नी तगाराम हि0 1/3 फरसाराम पुत्र तुलसाराम हि0 1/3 जाति सुनार सा0 देह खातेदार	आडेल	265	0.7032	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.7032 है0				
अचलाराम पुत्र तगाराम हि0 1/24 जगदीश पुत्र तगाराम हि0 1/24 शिवजीराम पुत्र तगाराम हि0 1/24 ओमप्रकाश पुत्र तगाराम हि0 1/24 गोरखाराम पुत्र तगाराम हि0 1/24 खम्मादेवी पत्नी तगाराम हि0 1/24 किस्तूरीदेवी पत्नी तुलसाराम हि0 1/4 फरसाराम पुत्र तुलसाराम हि0 1/4 खेताराम पुत्र तुलसाराम हि0 1/4 जाति सुनार सा0 देह खातेदार	आडेल	340 340/2	4.1300 2.5793	बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 6.7093 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

तुलछाराम बनाम मगा

2009/00035

निर्णय दिनांक:-07.07.2025

यह निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं.:- 2009/00035

दर्ज तिथि:-03.03.2025

1. खेताराम पुत्र तुलछाराम
 2. फरसाराम पुत्र तुलछाराम
 3. गोरखाराम पुत्र तगाराम
 4. ओमप्रकाश पुत्र तगाराम
 5. अचलाराम पुत्र तगाराम
 6. जगदीश पुत्र तगाराम
 7. खम्मादेवी पत्नी तगाराम
 8. किस्तूरी पत्नी तुलसाराम
 9. शिवजीराम पुत्र तगाराम
- जाति सोनी निवासी आडेल तहसील सिणधरी हाल नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. मगा पुत्र अमरा
 2. रामाराम पुत्र हरदानराम
 3. खेताराम पुत्र हरदानराम
 4. लूम्बा पुत्र उदा (फौत के कायम मुकाम)
 - 4/1 खेताराम पुत्र लूम्बा
 - 4/2 सिगरतीदेवी पत्नी लूम्बा
 - 4/3 रेखीदेवी पत्नी जूंजाराम
 - 4/4 मुकेश पुत्र जूंजाराम
 - 4/5 चुनी पुत्री जूंजाराम
 - 4/6 दिनेश कुमार पुत्र जूंजाराम
 5. फूसा पुत्र उदा
 6. ऐलसी पत्नी खेताराम
- प्रतिवादी संख्या 4/4 से 4/6 तक नाबालिग जरिये वली माता रेखीदेवी पत्नी जूंजाराम
-असल प्रतिवादी
7. तहसीलदार नोखड़ा
-तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री बाबूलाल विश्नोई

प्रतिवादी - श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

&%i pKz fMØh%&

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 265/17.03 बीघा (2.5403 है0), 340/86.04 बीघा(13.9472 है0), 340/2/38.04 बीघा(6.1808 है0) वाके ग्राम आडेल एवं खसरा संख्या 173/42.10 बीघा(6.8765 है0) वाके ग्राम भांभूओ का तला तहसील सिणधरी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
फूसाराम पुत्र उदाराम हि0 1/2	आडेल	265	0.4308	बा0सो0
सिगरती पत्नी लुम्बाराम हि0 1/6		265/3	0.1052	बा0सो0
खेताराम पुत्र लुम्बाराम हि0 1/6		173	6.8765	बा0सो0
दिनेश पुत्र जुंजाराम हि0 1/24				
मुकेश पुत्र जुंजाराम हि0 1/24				
रेखीदेवी पत्नी जुंजाराम हि0 1/24				
चूनी पत्नी जुंजाराम हि0 1/24				
जाति सुनार सा0 देह खातेदार				
कुल किता 03 रकबा 7.4125 है0				
मगाराम पुत्र अमराराम	आडेल	265	0.7031	बा0सो0
जाति सुनार सा0 देह खातेदार		340	6.0572	बा0सो0
		340/2	0.6522	बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 7.4125 है0				
रामाराम पुत्र हरदानराम हि0 1/2	आडेल	265	0.7032	बा0सो0
भावनी पुत्री खेताराम हि0 1/12		340	3.7600	बा0सो0
रेशमी पुत्री खेताराम हि0 1/12		340/2	2.9493	बा0सो0
लीला पत्नी खेताराम हि0 1/12				
दुर्गा पुत्री खेताराम हि0 1/12				
हेमाराम पुत्र खेताराम हि0 1/12				
जुंजाराम पुत्र खेताराम हि0 1/12				
जाति सुनार सा0 देह खातेदार				
कुल किता 03 रकबा 7.4125 है0				

एलसीदेवी पत्नी खेताराम हि0 1/3 खम्मादेवी पत्नी तगाराम हि0 1/3 फरसाराम पुत्र तुलसाराम हि0 1/3 जाति सुनार सा0 देह खातेदार	आडेल	265	0.7032	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.7032 है0				
अचलाराम पुत्र तगाराम हि0 1/24 जगदीश पुत्र तगाराम हि0 1/24 शिवजीराम पुत्र तगाराम हि0 1/24 ओमप्रकाश पुत्र तगाराम हि0 1/24 गोरखाराम पुत्र तगाराम हि0 1/24 खम्मादेवी पत्नी तगाराम हि0 1/24 किस्तूरीदेवी पत्नी तुलसाराम हि0 1/4 फरसाराम पुत्र तुलसाराम हि0 1/4 खेताराम पुत्र तुलसाराम हि0 1/4 जाति सुनार सा0 देह खातेदार	आडेल	340 340/2	4.1300 2.5793	बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 6.7093 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर